

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.6(29)नविवि/3/2004

जयपुर, दिनांक : 07 JUN 2023

संशोधित आदेश:-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश में जारी करने की दिनांक सहवन से 05 मई 2023 अंकित हो गई हैं, जिसे दिनांक 05 जून 2023 पढा एवं समझा जावे।

भवदीया,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
13. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराये जाने बाबत।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम